गोहिल विश्वराज हनुभाई व अन्य

बनाम

गुजरात राज्य व अन्य

(2017 की सिविल अपील संख्या 5680-83)

28 अप्रेल, 2017

(जे. चेलमेश्वर और अभय मनोहर सप्रे. जे.जे.)

प्रशासनिक कानून- प्रशासनिक कार्यवाही- न्यायिक समीक्षा- की शक्ति- तथ्यों पर, राजस्व तलाटी के पद के लिए संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कदाचार की शिकायत- भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाला सरकारी संकल्प जारी करना और सरकार द्वारा नए सिरे से परीक्षा आयोजित का निर्णय- चुनौती- उच्च न्यायालय ने माना कि जीआर अवैध और मनमाना नहीं है- हस्तक्षेप किया- माना गयाः नहीं बुलाया गया- विवादित कार्यवाही सभी अभ्यर्थियों को, जिन्होंने कदाचार का सहारा लिया था और अन्य जिन्होंने कदाचार नहीं किया था, एक साथ परीक्षा में शामिल करके, राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध की कमी से दूषित नहीं- गलत काम करने वालों सहित निर्दोष अभ्यर्थियों को अभी भी अवसर मिलता है राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली नई परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए- उन सभी उम्मीदवारों की पहचान करना जो कदाचार के दोषी हैं, या तो आपराधिक मुकदमा चलाकर या यहां तक कि

प्रशासनिक जांच द्वारा भी एक समय लेने वाली प्रक्रिया है- यदि गलत करने वालों की पहचान करना आवश्यक था और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाना था, और जब तक ऐसी पहचान पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इससे प्रशासन को बड़ी असुविधा होगी और साथ ही निर्दोष उम्मीदवारों को समय की हानि होगी- न्यायिक समीक्षा। सिद्धांत-सिद्धांत- वेडनसबरी की अनुचितता का सिद्धांत- निर्धारित कियाः एक निर्णय जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना में इतना अपमानजनक है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने निर्णय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया हो, उस पर नहीं पहुंच सकता था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1 आम तौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय केवल प्रशासनिक अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करेंगे, लेकिन निर्णय की नहीं। (पैरा 20) (410-जी)

अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेल्वे भर्ती बोर्ड बनाम के श्याम कुमार (2010) 6 एससीआर 291: (2010) 6 एससीसी 614; स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लिमिटेड बनाम एम.एन. प्रकाशन लिमिटेड (1993) 1 एससीआर 81: (1993) 1 एससीसी 445; आंध्रप्रदेश राज्य बनाम पी.वी. हनुमंत राव (2003) 4 पूरक एससीआर 736: (2003) 10 एससीसी 131- संदर्भित।

1.2 परीक्षा प्रक्रिया की शुद्धता-क्या ऐसी परीक्षा प्रक्रिया राज्य के तहत रोजगार के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक उपलब्धि या उपयुक्तता के आकलन से संबंधित हो-किसी भी परीक्षा प्रक्रिया की तर्कसंगतता की एक निर्विवाद आवश्यकता है। संविधान के तहत तर्कसंगतता लोक प्रशासन का एक अनिवार्य पहलू है। किसी भी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए उचित उपाय करने का राज्य का अधिकार निर्विवाद है। जहां किसी परीक्षा प्रक्रिया के संचालन के दौरान बड़े पैमाने पर कदाचार होने के आरोप है, राज्य या उसके उपकरण परीक्षा रद्द करने के हकदार हैं। इस न्यायालय ने परीक्षाओं को रद्द करने के लिए राज्य या उसके उपकरणों की कार्यवाही को मंजूरी दे ही है, जब भी कुछ उचित सामग्री के आधार पर यह आवश्यक माना जाता है कि परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो गई है। वे परीक्षा प्रक्रिया को दूषित करने वाले प्रत्येक तथ्य का प्रमाण मांगने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। (पैरा 22) (411-सी-ई; 412-ए)

रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य (1979) 3 एससीआर 1014: (1979) 3 एससीसी 489; भारत संघ बनाम आनन्द कुमार पाण्डे (1994) 1 पूरक एससीआर 750: (1994) 5 एससीसी 663; अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेल्वे भर्ती बोर्ड बनाम के श्याम कुमार (2010) 6 एससीआर 291: (2010) 6 एससीसी 614; निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश व अन्य (2016) 7 एससीआर 822: (2016) 7 एससीसी 615- संदर्भित।

1.3 परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर) की जांच से प्रकट हुआ कि इसमें स्पष्ट विसंगतियां थी जो परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की घटना का स्पष्ट प्रमाण है। राज्य द्वारा इन परिस्थितियों में की गई उचित उपचारात्तक कार्यवाहियों की शक्ति को इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि राज्य ने अदालत में तथ्यों के सबूत के लिए प्रांसगिक साक्ष्य के नियमों के अनुसार उन आरोपों की सच्चाई स्थापित नहीं की है (या तो आपराधिक या दीवानी कार्यवाही में), यह न तो व्यापक जनहित की मांगों के अनुरूप होगा और न ही प्रशासन की दक्षता के लिए अनुकूल होगा। कोई बाध्यकारी मिसाल सामने नहीं लाई गई है जो अन्यथा मानने के लिए मजबूर करती हो। यह नहीं कहा जा सकता कि बड़े पैमाने पर परीक्षा प्रक्रिया में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया है, लेकिन ऐसी छेड़छाड़ के केवल आरोप है, जिनकी सच्चाई का परीक्षण किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा कभी नहीं किया गया है, इस प्रकार, परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने का प्रतिवादी का निर्णय बिना किसी कानूनी आधार के है। (पैरा 21,23) (411-बी; 412-बी-डी)

1.4 वेडनसबरी की अनुचितता का सिद्धांत यह है कि "एक निर्णय जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना में इतना अपमानजनक है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने निर्णय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया हो, उस पर नहीं पहुंच सकता था"। आरोपी की

प्रकृति और प्रथम दृष्ट्या सबूतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की संभावना का संकेत मिलता है, जिसके कारण यह कार्यवाही हुई, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की विवादित कार्यवाही'' अपने आप में ''तर्क की अवज्ञा'' या ''नैतिक मानकों'' पर बहुत अपमानजनक है।

1.5 परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कदाचार थे और राज्य उचित उपचारात्मक कार्यवाही करने का हकदार था। ऐसे कदाचार में स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों के दो वर्ग हो सकते हैंः वे जिन्होने कदाचार का सहारा लिया था और दूसरे जिन्होंने कदाचार नहीं किया था। आक्षेपित कार्यवाही से, इसमें कोई संदेह नहीं, उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। (पैरा 29)(415-डी-ई)

1.6 उन सभी उम्मीदवारों की पहचान करना जो कदाचार के दोषी हैं, या तो आपराधिक मुकदमा चलाकर या प्रशासनिक जांच द्वारा निश्चित रूप से एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह कानून की आवश्यकता थी कि गलत काम करने वालों की ऐसी पहचान जरूरी है और केवल पहचाने गए गलत काम करने वालों को ही चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए, और जब तक ऐसी पहचान पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा ३.सकता, इसका परिणाम न केवल प्रशासन के लिए एक बड़ी असुविधा होगा, लेकिन साथ ही परिणामस्वरूप निर्दोष अभ्यर्थियों को भी समय की

हानि होगी। दूसरी ओर, आक्षेपित कार्यवाही के आधार पर, निर्दोष उम्मीदवारों (गलत काम करने वालों सहित सभी उम्मीदवारों) को अभी भी राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली नई परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। अगर ऐसा है तो एकमात्र कानूनी नुकसान यह है कि उनमें से कुछ ने उपरी आयु सीमा पार कर ली होगी नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। मामले के उस पहलू पर राज्य द्वारा ध्यान दिया जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को एक साथ इकट्ठा करके, राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ साठगांठ की कमी के कारण विवादित कार्यवाही दूषित हो गई है। आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। (पैरा 29, 30) (415-एफ-एस; 416-ए-बी)

टाटा सेल्यूलर बनाम भारत संघ (1994) 2 पूरक एससीआर 122: (1994) 6 एससीसी 651; सीमंस पब्लिक कम्यूनिकेशन बनाम भारत संघ एआईआर 2009 एससी 1204: (2008) 15 एससीआर 585; ओम कुमार व अन्य बनाम भारत संघ (2004) 4 पूरक एससीआर 693: (2001) 2 एससीसी 386- संदर्भित।

एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड बनाम वेडनसबरी कॉर्पोरेशन (1948) 1 केबी 223; सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री (1984) 3 ऑल ईआर 935 (एचएल)- का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

(1994) 2 पूरक एससीआर 122	संदर्भित	पैरा 19
(2008) 15 एससीआर 585	संदर्भित	पैरा 19
(2010) 6 एससीआर 291	संदर्भित	पैरा 20
(1993) 1 एससीआर 81	संदर्भित	पैरा 20
(2003) 4 पूरक एससीआर 736	संदर्भित	पैरा 20
(1979) 3 एससीआर 1014	संदर्भित	पैरा 22
(1994) 1 पूरक एससीआर 750	संदर्भित	पैरा 22
(2000) 4 पूरक एससीआर 693	संदर्भित	पैरा 26

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5680-5693/2017

गुजरात उच्च न्यायालय (अहमदाबाद) के विशेष दीवानी प्रार्थना पत्र संख्या 11149/2015 में पत्र पेटेंट अपील संख्या 73/2016, साथ ही दीवानी प्रार्थना पत्र संख्या 11685/2015 में पत्र पेटेंट संख्या 74/2016, इसके साथ दीवानी प्रार्थना-पत्र संख्या 1066/2016 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 74/2016, साथ ही विशेष दीवानी प्रार्थना-पत्र संख्या 11149/2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 27.06.2016 से।

डॉ राजीव धवन, वरिष्ठ वकील, अंशुल नारायण, नीलेश ए. पंडया,

प्रेम प्रकाश (अपीलकर्ताओं की तरफ से अधिवक्तागण)।

सुश्री मनीषा लव कुमार, सुश्री जैसल वाही, सुश्री ममता सिंह, श्रीमति हेमन्तिका वाही (उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

चेलमेश्वर, जे., 1. अनुमति दी गई।

2. ये अपील विशेष सिविल आवेदन संया 2016 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 73/2015 और सिविल आवेदन में 2016 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 74 के साथ गुजराज उच्च न्यायालय के 27 जून 2016 के अंतिम फैसले के खिलाफ दायर की गई। 2015 का क्रमांक डी 11685, 2016 का सिविल आवेदन क्रमांक 1066, लेटर्स पेटेंट अपील क्रमांक 2016 का 74 और 2015 का विशेष सिविल आवेदन क्रमांक 11149 हस्तगत विवाद के तथ्य इस प्रकार है:

3. यहां अपीलकर्ता मे उम्मीदार है जो राजस्व तलाटी के पद पर भर्ती के लिए प्रतिवादियों द्वाररा आयोजित परीक्षा में सफलतापूर्वक उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था।

4. गुजरात राज्य ने राजस्व विभाग के नियंत्रण में राजस्व तलाटी का एक नया पद बनाने का निर्णय लिया। राजस्व तलाती का काम राजस्व रिकार्ड बनाए रखना, राजस्व एकत्र करना आदि है। इन पदों के सृजन का उददेश्य मौजूदा तलाटी-सह-मंत्रियों पर बोझ को कम करना है जो पंचायत

विभाग के नियंत्रण में थे जो भूमि के रिकार्ड के रखरखाव और तत्संबंधी विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते थे।

5. दिनांक 23.10.2008 के एक सरकारी संकल्प द्वारा राजस्व तलाटी के कुल 1800 पद सृजित किये गये थे। आमतौर पर ऐसे पद पर भर्ती गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (जीएसएसएसबी) द्वारा की जाती है। बोर्ड से ऐसा करने का अनुरोध किया गया था, बोर्ड ने राज्य द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की।

6. स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए, गुजरात राज्य के राजस्व बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया स्वयं शुरु करने का निर्णय लिया। प्रस्ताव को राज्य द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 04.12.2013 (सुविधा के लिये जीआर-1) द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिनांक 11.12.2013 के एक अन्य जीआर द्वारा, राजस्व तलाटी भर्ती समिति (इसके बाद समिति) का गठन राजस्व निरीक्षण आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया था, जो कलेक्टर, अहमदाबाद और कलेक्टर गांधी नगर और संयुक्त सचिव के साथ गुजरात राज्य के पदेन सचिव है। राजस्व विभाग की समिति के सदस्यों के रुप में ''सीधी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने'' और उससे जुडे प्रासंगिक मामलों और उक्त जीआर के तहत लगाई गई विभिन्न सीमाओं के अधीन। समिति ने परीक्षा आयोजित करने के लिये गुजरात टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी (इसके बाद जीटीयू) की सहायता लेने का निर्णय

किया।

7. दिनांक 15.01.2014 को राजस्व तलाटिस के 1500 पदों को भरने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को चयन का आधार माना गया था। परीक्षा 33 जिलो में फैले 2691 केन्द्रों में आयोजित की गई। परीक्षा में 7,53,703 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

8. परीक्षा से एक दिन पहले यानी 15.02.2014 को पुलिस स्टेशन गांधी नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 144 के तहत दो व्यक्तियों, कल्याणीश, मूलसिंह और नीलेशभाई उमेशभाई शाह के खिलाफ एक एफ आई आर सं 46/2014 दर्ज हुई। उन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों को नियुक्त का आश्वान देकर उनसे पैसे इकटठा किये थे।

9. बहरहाल परीक्षा प्रक्रिया आगे बडी, ओएमआर शीट के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, यह देखा गया कि बडी संख्या में ओएमआर शीट पर विशिष्ट चिन्ह थे। 26.05.2014 को पुलिस अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष को सूचित किया कि गिरफतार किए गए दो व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि उन्होंने उम्मीदवारों को ओएमआर शीट के दाई ओर ‘‘बी‘‘ चिन्ह लगाने की सलाह दी थी।

10. इसके बाद पूरे डेटा को आगे की जांच के लिये फोरेंसिंक विज्ञान

प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच में सामने आया 284 ओएमआर भर्ती समिति ने प्रश्न पत्र तैयार करने, परीक्षा लेने और उसके परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुजरात को सौंपने का निर्णय लिया है और इसलिये, उपरोक्त उद्देश्य के लिये, आपसे अनुरोध है कि आप प्रत्येक प्रक्रिया के लिये प्रकार्य दरें यथाशीघ्र विभाग को भेजें। सदस्य सचिव, भर्ती समिति का रजिस्ट्रार, जी टी यू को पत्र दिनांक 15.01.2014 विशिष्ट चिन्ह वाली ओएमआर शीटे थी। समिति ने उन उम्मीदवारों को विचार से बाहर करने का निर्णय लिया। इसलिये, 10.10.2014 को एक अंनतिम मेरिट सूची घोषित की गई। सूची में 8465 अभ्यर्थियों को रखा गया।

11. इस बीच राज्य के विभिन्न अधिकारियों को परीक्षा के संबंध में बडी संख्या में कदाचार होने का आरोप लगाते हुए शिकायते प्राप्त हुई।

-17-10-2014 को भुभाई डामोर की ओर से एक शिकायत।

- साबरकांठा जिले के कलेक्टर ने श्री आर.डी. पटेल से प्राप्त एक शिकायत को अग्रेषित किया जिसमें विभिन्न अनियमितताओं का विवरण दिया गया था।

- अनियमितताओं की ऐसी शिकायत दाहोद जिले के रुपाखेडा के कामेश भाई ने प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को की थी।

- सुरेन्द्रनगर की स्थानीय अपराध शाखा में हिरेन नरोत्तम भाई

काओशा के खिलाफ एक ओर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 62 लोगों से 1.55 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की थी।

- आगे की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि धीरुभाई भील, जो भूमि सुधार सचिव के कार्यालय में चपरासी के रुप में कार्यरत थे और उसी कार्यालय की एक महिला कर्मचारी ने कई उम्मीदवारों से यह वादा करके पैसे स्वीकार किए थे कि ये उम्मीदवार परीक्षा में सफल होंगे। भूमि सुधार सचिव भर्ती समिति के अध्यक्ष भी थे।

12. बडी संख्या में शिकायते मिलने पर कमेटी ने मामले की जांच की, कुछ अनियमितताएं पाई गई। उदाहरण के लिये, एक ही परिवार के 127 उम्मीदवारों को अंनतिम मेरिट सूची में रखा गया था। 178 अभ्यार्थियों का आवासीय पता समान पाया गया। उम्मीदवारों के इन दोनों सूचियों में कुल मिलाकर 47 उम्मीदवार समान थे, इत्यादि।

13. समिति ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करना।

उचित समझा। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 03.07.2015 (इसके बाद जीआर-II) के एक संकल्प द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी किया। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आदेश दिया गया,

"3. भर्ती की सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने पर राजस्व तलाटी वर्ग के 1500 पदों और अन्य वर्षो की 900

रिक्तियों को जोड कर गुजरात सहायक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 2400 पदो को भरने का संकल्प लिया गया है।

4. जैसा कि नंबर 1 पर कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों का नाम सूची में है, जिनकी उपरी आयु सीमा समाप्त होने वाली है, वे अब विशेष परीक्षा के रुप में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे। मामले में, उपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है।"

14. उपर्युक्त जीआर से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने एक रिट याचिका (विशेष सिविल आवेदन संख्या 11149/2015) दायर की जिसमें घोषणा की मांग की गई कि जीआर अवैध और मनमाना थां इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने एक आवेदन (2015 का सिविल एप्लीकेशन नंबर 11685) दायर किया, जिसमें उत्तरदाताओं को भर्ती के लिये कोई भी नया विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई। गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.12.2015 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से 2015 के सिविल आवेदन संख्या 11685 का निपटारा कर दिया, जिससे प्रतिवादितयों को 980 सीटो के लिये नई भर्ती के साथ आगे बढने की अनुमति मिल गई। याचिकाकर्ताओं ने 14.12.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए 2015 का एलपीएएस नंबर 73 और 74 दायर किया।

याचिकाकर्ताओं ने एलपीए नंबर 74/2016 के तहत नई भर्ती पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से आवेदनों और अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समिति का निर्णय अनुचित नहीं था क्योंकि कुछ सामग्री थी जिसके आधार पर निर्णय लिया गया था अर्थात विभिन्न आरोप जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता पर संदेह डाला जाता है। इसलिये यह अपील प्रस्तुत की गई।

15. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया (i) कि बिना किसी जांच या दूषित परीक्षा प्रक्रिया के आरोपों के सबूत के बिना परीक्षा रद्द करना अवैध है, (ii) जीआर-ii की वैधता का परीक्षण ''वेडनेसबरी के तर्कसंगतता'' के सिद्धांत और आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर किया जाना चाहिए, (iii) उपर उल्लिखित जुडवां सिद्धांतो के प्रकाश में परीक्षण में समिति का निर्णय अनुचित व असगंत दोनो ही है इसलिए यह सरकार को हुई शर्मिंदगी के अप्रासंगिक विचार पर आधारित है और असंगत इसलिए है क्योंकि आरोप कम संख्या में उम्मीदवारों से संबंधित है जिनकी उम्मीदवारी को अलग किया जा सकता था और खारिज कर दिया जा सकता था।

16. दो प्रश्नों की जांच की जानी चाहिएः

(1) वे कौनसे सिद्धांत है जो कि प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के अनुसार वर्णित परिस्थितियों के संदर्भ में एक प्रशासनिक कार्यवाही की

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नियंतत्रित करते है?

(2) क्या विवादित निर्णय लेते समय उत्तरदाताओं द्वारा उन कानूनी सिद्धांतो का सख्ती से पालन किया जाता है?

17. प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से स्थापित हैं। इस संबंध में दो निर्णय जो अक्सर उद्धृत किए जाते हैं, वे हैं एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम वेडनसबरी कॉर्पोरेशन और काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विस'

18. लॉर्ड डिप्लोक ने काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस में अपनी प्रसिद्धि राय में सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत कियाः

> "...मुझे लगता है कि न्यायिक समीक्षा आज तक ऐसे स्तर पर विकसित हो गई है जब जिन चरणों से विकास हुआ है, उनके किसी भी विश्लेषण को दोहराए बिना, कोई भी उन आधारों को आसानी से तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकता है जिन पर प्रशासनिक कार्यवाही न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है। पहला आधार में "अवैधता" कहूंगा, दूसरा "अतार्किकता" और तीसरा "प्रक्रियात्मक अनौचित्य"। इसका मतलब यह नहीं है कि मामले-दर-मामले

के आधार पर आगे का विकास समय के साथ और आधार नहीं जोड़ सकता है। मेरे मन में विशेष रूप से "आनुपातिकता" के सिद्धांत को भविष्य में अपनाने की संभावना है, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के हमारे कई साथी सदस्यों के प्रशासनिक कानून में मान्यता प्राप्त है; लेकिन तत्काल मामले को निपटाने के लिए पहले से ही स्थापित तीन शीर्ष पर्याप्त होंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है। न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में "अवैधता" से मेरा तात्पर्य यह है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने के अधिकार को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए। उसके पास यह अधिकार है या नहीं, यह अत्यंत न्यायसंगत प्रश्न है, जिसका निर्णय विवाद की स्थित मैं उन व्यक्तियों, न्यायाधीशों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। "तर्कहीनता" से मेरा मतलब है जिसे अब तक संक्षेप में वेडनसबरी अतार्किकता" कहा जा सकता है (एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम वेडनसबरी कॉर्पोरेशन 1948 1 केबी 223)। यह ऐसे निर्णय पर लागू होता है जो तर्क की या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवज्ञा

में इतना अपमानजनक/चैंका देने वाला है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिने निर्णय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया हो, उस तक नहीं पहुंच सकता था। क्या कोई निर्णय इस श्रेणी में आता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए न्यायाधीशों को अपने प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, अन्यथा हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। इस भूमिका के न्यायालय के अभ्यास को उचित ठहराने के लिए, मुझे लगता है कि आज एडवर्ड्स बनाम बेयरस्टो (1956) एसी 14 में अतार्किकता के विस्काउंट रैडक्लिफ की सरल व्याख्या का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, जो अदालत के निर्णय को एक अनुमान के आधार पर पलटने का आधार है। यद्यपि निर्णय-निर्माता द्वारा कानून की अज्ञात गलती। अब तक "तर्कहीनता" एक स्वीकृत आधार के रूप में को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, जिस पर न्यायिक समीक्षा द्वारा निर्णय पर हमला किया जा सकता है। मैंने तीसरे प्रमुख को प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का पालन करने में विफलता या निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के प्रति प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ कार्य करने में विफलता के बजाय

"प्रक्रियात्मक अनौचित्य" के रूप में वर्णित किया है। ऐसा इसलिए है क्यों कि इस शीर्ष के तहत न्यायिक समीक्षा की संवेदनशीलता एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करने में विफलता को भी कवर करती है जो विधायी साधन में स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं जिसके द्वारा इसका अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है, भले ही ऐसी विफलता में प्राकृतिक न्याय से इनकार शामिल न हो। लेकिन मौजूदा मामले का किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है।"

उपरोक्त उद्धरण से देखा जा सकता है, लोड डिप्लोक ने तीन प्रमुख बिंदुओं की पहचान की जिनके तहत न्यायिक समीक्षा की जाती है, यानी, अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनौचित्य। उन्होंने भविष्य में 'आनुपातिकता' जैसे नए प्रमुख बिन्दुओं की पहचान किए जाने की संभावना को भी पहचाना। उन्होंने पहले से पहचाने गए तीन प्रमुखों की अवधारणाओं को समझाया। उन्होंने घोषण की कि प्रमुख बिन्दु 'अंतार्किकता' 'वेडनसबरी अतार्किकता' का पर्याय है।

19. काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस में निर्धारित सिद्धांत को टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सीमेंस पब्लिक

कम्युनिकेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।

20. आम तौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय केवल प्रशासनिक अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करेंगे, न कि निर्णय की। उक्त सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर प्रतिपादित किया गया है।

21. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों की जांच करेंगे जिनके तहत प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की जाती है।

अपीलकर्ता की दलील यह है कि बड़े पैमाने पर परीक्षा प्रक्रिया में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया है, लेकिन केवल ऐसी छेड़छाड़ के आरोप हैं, जिनकी सच्चाई का परीक्षण किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा कभी नहीं किया गया है।

इसलिए, परीक्षा रद्द करने का प्रतिवादी का निर्णय पूर्णतः बिना किसी कानूनी आधार के है।

22. परीक्षा प्रक्रिया की शुद्धता-चाहे ऐसी परीक्षा प्रक्रिया राज्य के तहत रोजगार के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक उपलब्धि या उपयुक्तता के आकलन से संबंधित हो, किसी भी परीक्षा प्रक्रिया की तर्कसंगतता की एक निर्विवाद आवश्यकता है। हमारे संविधान के तहत तर्कसंगतता लोक

प्रशासन का एक अनिवार्य पहलू है। किसी भी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए उचित उपाय करने का राज्य का अधिकार निर्विवाद है। इस न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों के आलोक में कानून का यह सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी भी परीक्षा प्रक्रिया के संचालन के दौरान बड़े पैमाने पर कदाचार होने के आरोप है, राज्य या उसके उपकरण परीक्षा रद्द करने के अधिकारी है, इस न्यायालय ने कई अवसरों पर राज्य या उसके उपकरणों को परीक्षा रद्द करने की कार्यवाही को मंजूरी दी है।

अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेल्वे भर्ती बोर्ड बनाम के श्याम कुमार (2010) 6 एससीसी 614 पैरा 21 पर; स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लिमिटेड बनाम एम.एन. प्रकाशन लिमिटेड, (1993) 1 एससीसी 445: ए.पी. राज्य बनाम पी.वी. हनुमंत राव (2003) 10 एससीसी 121 "रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारती अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य, (1979) 3 एससीसी 489

निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 7 एससीसी 615 पैरा 23 परः "अन्यथा भी, अपीलकर्ताओं के तर्क को निम्नलिखित कारणों से खारिज किया जाना आवश्यक हैः हमारे संविधान की योजना के तहत, राज्य की कार्यकारी शक्ति उसकी विधायी शक्ति के साथ सह-विस्तारित है। किसी भी ओपेरेटिव कानून की अनुपस्थिति में, कार्यकारी

शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किया जा सकता है। चिकित्सा में प्रवेश के लिए यहां प्रत्येक अपीलकर्ता का अधिकार है मध्य प्रदेश राज्य में कॉलेज स्वयं राज्य की कार्यकारी कार्यवाही का परिणाम हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, यहां तक कि राज्य की कार्यकारी कार्यवाही भी अधिकारों का निर्माण कर सकती है। जब तक कि संविधान या कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो अधिकारों के हनन या हनन पर रोक लगाता है, यह राज्य को कानून की कुछ निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्यकारी कार्यवाही द्वारा ऐसा करने की अनुमति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान की व्यापक आवश्यकता यह है कि राज्य की प्रत्येक कार्यवाही को कारण के साथ सूचित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक हित में होना चाहिए। हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो विवादित कार्यकारी कार्यवाही पर रोक लगाता हो। यदि यह स्थापित हो जाता है कि बड़े पैमाने पर अनुचित साधान अपनाने के परिणामस्वरूप लगातार वर्षो की प्रवेश परीक्षा (पीएमटी) प्रक्रिया दूषित हो गई है, तो राज्य निसंदेह जनहित की रक्षा करने के लिए उचित कार्यवाही करने का अधिकार रखता है, इसलिए मैं अपीलकर्ताओं के प्रस्तुतीकरण को अस्वीकार करता हूँ। भारत संघ बनाम आनंद कुमार पांडे, 1994 एस एससीसी 663 के मामले में रेल्वे भर्ती बोर्ड परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई, विशेष रूप से एक केन्द्र के दो कमरो में। बोर्ड ने उस केंद्र के सफल उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इसे केंद्रीय प्रशासनिक एक ट्रिब्यूनल ने

इस आधार पर खारिज किर दिया कि ऐसा निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन करते हुए लिया गया था। यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई सीधा-सीधा फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्णय में कोई गलती नहीं पाई। अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेल्वे भर्ती बोर्ड और अन्य बनाम के. श्याम कुमार और अन्य 2010 6 एससीसी 614 के मामले में, लिखित परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार सामने आए। भर्ती बोर्ड ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई। ट्रिब्यूनल ने माना कि दोबारा परीक्षण वैध था। उच्च न्यायालय ने वेडनसबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांतों को लागू करते पलट दिया। इस न्यायालय ने माना कि सतर्कता विभाग और सीबीआई की रिर्पोटों द्वारा समर्थित इतने बड़े पैमाने पर आरोपों के सामने, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को पलटना गलत था। निधि कैप बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 7 एससीसी 615 पैरा 42.1 एवं 649 का 42.2 देखे।

जब भी ऐसी कार्यवाही को कुछ उचित सामग्री के आधार पर यह इंगित करने के लिए आवश्यक माना जाता है कि परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो गई है। वे परीक्षा प्रक्रिया को दूषित करने वाले प्रत्येक तथ्य का प्रमाण देने के लिए भी बाध्य नहीं है।

23. हस्तगत मामले की बात करें तो इसमें परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। उत्तर पुस्तिकाओं (ओएमआर) की जांच से पता चला की इसमें स्पष्ट गड़बड़ी थी जो परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की घटना का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रदान करती है। राज्य को ऐसी परिस्थितियों में उचित उपचारात्मक कार्यवाही करने की शक्ति से इस आधार पर वंचित करना कि राज्य ने कानून की अदालत में तथ्यों के सबूत के लिए प्रासंगिक साक्ष्य के नियमों के अनुसार उन आरोपों की सच्चाई स्थापित नहीं की है (या तो एक आपराधिक मामले में या एक सिविल कार्यवाही), न तो व्यापक सार्वजनिक हित की मांगो के अनुरूप होगी और न ही प्रशासन की दक्षता के लिए अनुकूल होगी। कोई बाध्यकारी मिसाल हमारे संज्ञान में नहीं लगाई गई है जिसे हमें अन्यथा मानने के लिए मजबूर करता है। इसलिए, प्रथम सबमिशन अस्वीकार कर दिया गया है।

24. अगला प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित निर्णय को 'वेडनसबरी अनुचितता' के सिद्धांतों के आलोक में कायम रखा जा सकता है। लॉर्ड डिप्लोक की भाषा में, सिद्धांत यह है कि "एक निर्णय जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना में इतना अपमानजनक है कि कोई भी समझदार व्यक्ति निर्णय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया हो उस निर्णय तक नहीं पहुंच सकता था।" आरोपों की प्रकृति और प्रथम दृष्टया साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर

छेड़छाड़ की संभावना का संकेत मिलता है जिसके कारण विवादित कार्यवाही हुई, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की विवादित कार्यवाही "तर्क की अवेहलना में" "नैतिक मानकों" में बहुत अपमानजनक हैं। इसलिए, अपीलकर्ता की दूसरी दलील को भी खारिज करना आवश्यक है।

25. हमारे पास तीसरा प्रश्न यह है-क्या विवादित कार्यवाही की भयावहता उत्तरदाताओं द्वारा संबोधित की जाने वाली रिष्टि की तुलना में इतनी अधिक है कि लाखों उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाली पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करना आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

26. आनुपातिकता के सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति और विधायी और प्रशासनिक कार्यवाही दोनों के संदर्भ में इसके अनुप्रयोग पर इस न्यायालय द्वारा ओम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ, (2001) 2 एससीसी 386 में कुछ विस्तार से विचार किया गया था।

इस न्यायालय ने प्रशासनिक कार्यवाही जो अनुच्छेद 19(1) और 21 के तहत मौलिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और प्रशासनिक कार्यवाही जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, के बीच अंतर किया। इस न्यायालय ने माना कि मौलिक स्वंतत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में;

"54................अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 21 के तहत

स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक कार्यवाही की आनुपातिकता का परीक्षण अदालतों द्वारा प्राथमिक समीक्षा प्राधिकारी के रूप में किया गया है, न कि वेडनसबरी सिद्धांतों के आधार पर। ऐसा हो सकता है कि अदालतों ने इसे आनुपातिकता नहीं कहा लेकिन यह वास्तव में था। इसके बाद इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता को अनुचितता से अलग एक अलग आधार के रूप में मान्यता दी।"

27. हमारे सामने यह किसी का मामला नहीं है कि विवादित कार्यवाही अपीलकर्ताओं की किसी भी मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हमें केवल अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही की आनुपातिकता की जांच करनी है। इसलिए इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की जांच करना आवश्यक है।

इस न्यायालय ने ओंकार के मामले में प्रश्न उठाया;

61. अनुच्छेद 14 के तहत, न्यायालय प्राथमिक समीक्षा प्राधिकारी के रूप में आनुपातिकता परीक्षण कब लागू करता है और न्यायालय द्वितीय समीक्षा प्राधिकारी के रूप में वेडनसबरी नियम कब लागू करता है? बुनियादी सिद्धांतों की पिछली समीक्षा से, उत्तर सरल हो जाता है। वास्तव

में, हमारे पास इस संबंध में और भी मार्गदर्शन है। और निष्कर्ष निकाला;

"66. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत में जहां प्रशासनिक कार्यवाही को अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण होने के रूप में चुनौती दी जाती है, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है या असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सवाल यह है कि प्राथमिक समीक्षा अदालतों के रूप में संवैधानिक न्यायालयों को भेदभाव के स्तर की शुद्धता पर विचार करना चाहिए और क्या यह अत्यधिक है और क्या इसका प्रशासक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध है। यहां अदालत प्रशासक की संतुलनकारी कार्यवाही के गुण पर विचार करती है और संक्षेप में, "आनुपातिकता" लागू कर रही है "और एक प्राथमिक समीक्षा प्राधिकारी है।

67. लेकिन जहां एक प्रशासनिक कार्यवाही को ई.पी. के आधार पर अनुच्छेद 14 के तहत "मनमाना" के रूप में चुनौती दी जाती है। रोयप्पा बनाम टी.एन. राज्य, (1974) 4 एससीसी 3, (जैसा कि उन मामलों में जहां अनुशासनात्मक मामलों में दंड को चुनौती दी गई है), सवाल यह होगा कि क्या प्रशासनिक आदेश "तर्कसंगत" या

"उचित" है और परीक्षण तब वेडनसबरी परीक्षा है। तब अदालतें केवल एक द्वितीयक भूमिका तक ही सीमित रहेगी और उन्हे केवल यह देखना होगा कि क्या प्रशासक ने अपनी प्राथमिक भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या उसने अवैध रूप से कार्य किया है या प्रासंगिक कारकों को विचार से हटा दिया है या अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है या क्या उसकी दृष्टिकोण वह है जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं अपना सकता। यदि उसकी कार्यवाही इन नियमों को पूरा नहीं करती है, तो इसे मनमाना माना जाएगा। जी.बी. महाजन बनाम जलगांव नगर परिषद, (1991) 3 एससीसी 91, वेकटचलैया, जे. (तब थे) ने बताया कि प्रशासनिक कानून के संदर्भ में अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासक कि "तर्कसंगतता" को वेडनसबरी नियमों के प्रमुख बिन्दुओं से आंका जाना चाहिए। टाटा सेल्युलर बनाम यूनियम ऑफ इंडिया, (1994) 6 एससीसी 651, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बाम्बे (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1985) 1 एससीसी 641, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (1989) 4 एससीसी 187, और यू.पी. वित्तीय निगम बनाम जेम कैक (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (1993) 2 एससीसी 299, में यह

निर्णय करते हुए कि क्या अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासनिक कार्यवाही ''मनमाना'' है (यानी अन्यथा भेदभावपूर्ण है), इस न्यायालय ने खुद को हमेशा वेडनसबरी समीक्षा तक ही सीमित रखा है।

68. इस प्रकार, जब अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासनिक कार्यवाही पर भेदभावपूर्ण होने का आरोप लगाया जाता है, तो आनुपातिकता लागू करके प्राथमिक समीक्षा का सिद्धांत अदालतों के लिए है। हालांकि, जहां अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासनिक पर आधारित द्वितीयक समीक्षा का सिद्धांत लागू होता है।"

28. अपीलकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया है कि केवल इस तथ्य से कि कुछ उम्मीदवारों ने कुछ कदाचार का सहारा लिया, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में निर्दोष उम्मीदवारों को अनुचित कठिनाई होगी। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता इस न्यायालय से प्राथमिक समीक्षा परीक्षण लागू करने का आग्रह करते है।

29. हम पहले ही मान चुके हे कि परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कदाचार हुए थे और राज्य उचित उपचारात्मक कार्यवाही करने का हकदार था। इस तरह के कदाचार की घटना के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों

के दो वर्ग हो सकते हैः वे जिन्होंने कदाचार का सहारा लिया था और दूसरे जिन्होंने कदाचार का सहारा नहीं लिया था। आक्षेपित कार्यवाही से, इसमें कोई संदेह नहीं, उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। क्या इस तरह सभी को एक साथ रखना अनुच्छेद 14 के तहत गांरटीकृत समान सुरक्षा से इनकार होगा? यह प्रश्न है।

उन सभी उम्मीदवारों की पहचान करना जो कदाचार के दोषी हैं, आपराधिक मुकदमा चलाकर या प्रशासनिक जांच द्वारा निश्चित रूप से एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यदि यह कानून की आवश्यकता होती कि गलत काम करने वालों की ऐसी पहचान जरूरी है और केवल पहचाने गए गलत काम करने वालों को ही चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए, और जब तक ऐसी पहचान पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रक्रिया जारी नहीं रखी जा सकती, इसका परिणाम न केवल होगा इससे न केवल प्रशासन को बड़ी असुविधा होती है, बल्कि निर्दोष अभ्यर्थियों को भी समय की हानि होती है। दूसरी ओर, आक्षेपित कार्यवाही के आधार पर, निर्दोष उम्मीदवारों (उस मामलें में गलत काम करने वालों सहित सभी उम्मीदवारों) को अभी भी राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली नई परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। अगर ऐसा है तो एकमात्र कानूनी नुकसान यह है कि उनमें से कुछ ने नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उपरी आयु सीमा पार कर ली होगी। मामले के उस पहलू पर राज्य द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपित कार्यवाही राज्य

द्वारा परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को एक साथ प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्न के साथ समीपता (संबंध) के अभाव में आक्षेपित कार्यवाही दूषित है।हमे अपील के तहत फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए कोस्ट के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपीले खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुषमा पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निणर्य पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।